Alternative Care

Prevention of Child Marriage by Alternative Care

Alternative Care of Children

UN Convention on the Rights of the Child -

Section 20 (subsection 1)

A child temporarily or permanently deprived of the family environment.

UN Convention on the Rights of Child

Section 20 (subsection 2)

States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.

UN Guidelines for the Alternative Care of Children,2009

Purpose -

- **The intention of enhancing the implementation of the Convention on the Rights of the Child**
- **Provisions regarding the protection and well-being of children deprived of parental care or who are at risk of being.**
- **Find the appropriate and permanent solution, including the adoption.**
- **To assist and encourage Governments**

UN Guidelines for the Alternative Care of Children,2009

Purpose -

To provide appropriate care and protection for vulnerable children, such as

- **Child victims of abuse and exploitation**
- **Abandoned children**
- **Children living on the street**
- **Children born out of wedlock**
- **Separated children**
- **Children of migrant workers**
- **Children living with or affected by HIV/AIDS and other serious illnesses**

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules ,2016

JJ Rules 23 Foster Care.-

The State Government may place children in need of care and protection in foster care including group foster care through the order of the Committee for a short or extended period of time

JJ Rules 24. Sponsorship.-

The State Government shall prepare sponsorship programs, which may include.

SOS Children's Village
(“Save Our Ship”)

Formation- 1949

Founder- Hermann Gmeiner
(हरमन गेमिनर)

- During the Second World War many children became homeless and orphaned.
- SOS Children's Villages provide alternative families to children without adequate parental care.

Alternative Care Of Children

Family-Based Alternative Care Of Children

Intuitional-Based Alternative Care of

Alternative Care of Children

Family-Based Alternative Care-Related Schemes

1.Palanhar Scheme
2 Vatsaly Foster Care
3 Goradhay Group Foster care Scheme
4. Utkarsh Sponsorship
5. Mukhyamantri Corona Sahyata Scheme
6.PM-CARE

Intuitional-Based Alternative Care

1. Govt/ NGOs running of Child Care Institutions -140

Government of Rajasthan
Social Justice and Empowerment Department

Palanhar Scheme (2005)

पालनहार योजना

- राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विषेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक/बालिकाओं हेतु।
- बच्चों की देखभाल एवं पालन–पोषण की व्यवस्था परिवार के अन्दर किसी निकटतम रिष्तेदार/परिचित व्यक्ति/वयस्क सगे भाई–बहिन के द्वारा किया जाता है।
- बच्चों के देखभाल, पालन–पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने वाले को पालनहार कहा जाता है।
- बच्चों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिष्चित करने के लिये सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना के उद्देष्य

- बच्चों की देखभाल एवं पालन–पोषण की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर परिवार के अन्दर किसी निकटतम रिष्तेदार/परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाना।

- बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिष्चित करना।

योजना की पात्रता /श्रेणी

1 अनाथ बच्चे

2 न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे

3 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे

4 पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे

5 एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे

6 कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे

8 नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे

9 विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे

10 तलाकषुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे

11 सिलिकोसिस पीडित माता/पिता के बच्चे

देय अनुदान राषि

- अनाथ श्रेणी के 0–6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रूपये तथा 6–18 आयु वर्ग तक के बच्चों हेतु राशि 2500 रूपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी/विद्यालय जाना अनिवार्य)
- अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0–6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह तथा 6–18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु – 1000 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी/विद्यालय जाना अनिवार्य)
- वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चें की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं जांच बिन्दु

1. पालनहार के पंजीकरण में

- **जनआधार**
- **राजस्थान राज्य के निवासी होने अथवा राज्य में कम से कम तीन साल से रहने का प्रमाण हेतु आवेदक के मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है।**

यदि पालनहार;

- ✓ बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा
- ✓ पेंषनर्स (विधवा/तलाकषुदा/परित्यक्ता/विषेष योग्जन, सिलिकोसिस पेंषन) धारक है, अथवा
- ✓ पीडीएस लाभार्थी है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

- **पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होने का प्रमाण।**

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं जांच बिन्दु

2. बच्चों के पंजीकरण में

- ✓ **बच्चे का आधार नम्बर एवं बच्चे को पालनहार के जन–आधार में जुडना आवश्यक है**

- ✓बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकृत होने/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

- **श्रेणीवार संलग्न किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज**

- ✓**अनाथ बच्चे के प्रकरण में;**
  - माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  - बच्चे का पालन–पोषण करने का प्रमाण पत्र

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं जांच बिन्दु

✓**न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे के प्रकरण में.**

- माता–पिता के मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास प्राप्त होने का न्यायालय द्वारा जारी दण्डादेश, अथवा
- बच्चे का पालन–पोषण करने का प्रमाण पत्र

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं जांच बिन्दु

✓ **निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे के प्रकरण में;**

- पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) नम्बर

✓ **पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे के प्रकरण में;**

- पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र (विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

✓ **एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे के प्रकरण में;**

- राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी/ग्रीन डायरी

✓ **कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे के प्रकरण में;**

- सक्षम चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं जांच बिन्दु ¼ Continue....½

✓ नाता जाने वाली माता के बच्चे के प्रकरण में;

- नाता जाने का प्रमाण पत्र
- बच्चे का पालन–पोषण करने का प्रमाण पत्र

✓ विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे के प्रकरण में;

- आवेदक का 40 प्रतिशत या अधिक का विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र

✓ तलाकषुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे के प्रकरण में;

- आवेदक का पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) नम्बर

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं जांच बिन्दु-

✓ **सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे के प्रकरण में;**

- सक्षम चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

पालनहार योजना : प्रारम्भ एवं विस्तार

- **फरवरी, 2005 :** योजना का प्रारम्भ अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों (15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक) हेतु किया गया।
- **अगस्त, 2005 :** सभी जातियों के अनाथ बच्चों को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **अप्रेल, 2007 :** विधवा महिला के एक बच्चे को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **जनवरी, 2010 :** पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **अप्रेल, 2010 :** कुष्ठ/एच.आई.वी. एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चों को सम्मिलित किया गया।
- **मार्च, 2011 :** नाता जाने वाली महिला की एक संतान को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **मार्च, 2011 :** बच्चों की 15 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया।

पालनहार योजना : प्रारम्भ एवं विस्तार (Cont...)

- **अप्रेल, 2013 :** विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चों को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **मई, 2013 :** परित्यक्ता एवं तलाकषुदा महिला के बच्चों को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **मई, 2013 :** निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाता जाने वाली महिला के एक बच्चे के स्थान पर तीन बच्चों तक योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- **मई, 2018 :** बच्चे द्वारा 12 वीं कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत् होने/रहने से पूर्व यदि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को एक अतिरिक्त वर्ष तक (19 वर्ष तक) की उम्र पूर्ण करने तक लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- **फरवरी, 2020 :** सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चों को योजना में सम्मिलित किया गया।
- **मई, 2020** पालनहार योजना को स्टेट फ्लेगशिप योजना में सम्मिलित किया गया है।

सवाल > पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

- **उत्तर >** पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

सवाल > योजनान्तर्गत क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है ?

- उत्तर > पालनहार योजना में पालनहार का Janaadhar Card, बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास हेतु मूलनिवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेज है तथा श्रेणीवार दस्तावेज विभागीय वेबसाईट (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

सवाल > आवेदन में आक्षेप के क्या कारण है, को चैक करने के लिये क्या करें ?

- उत्तर > पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

सवाल > पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है ?

- उत्तर > पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें।

सवाल > ईमित्र बंद हो जाने की स्थिति में क्या किया जावे ?

- उत्तर > पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

Thanks